न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 39/2024

वादीगण :–

1. उंकारराम
2. भोमाराम
3. दुदाराम
4. भंवरलाल पिसरान दुर्गाराम
5. पेमी पत्नी दुर्गाराम
6. सुगना पुत्री दुर्गाराम
7. नर्मदा पुत्री दुर्गाराम
8. मादाराम पुत्र कानाराम
9. रामाराम पुत्र कानाराम
10. कालुराम
11. किशोरराम
12. राजूराम
13. श्यामलाल पिसरान भेराराम
14. रूकमादेवी पत्नी भेराराम
15. संतोष
16. शोभा
17. गुडिया पुत्रिया भेराराम
18. खीयाराम
19. चुतराराम
20. मयाराम
21. शंकरलाल
22. हडमानराम पिसरान पाबूराम सभी जातियान जाट निवासीगण तेजाबा की ढाणी ग्राम बीरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गंगाराम पुत्र मिसाराम
2. गुदडराम पुत्र मिसाराम जातियान जाट निवासीगण तेजाबा की ढाणी ग्राम बीरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. शाखा प्रबन्धक, शाखा बैक आफ बडौदा शाखा बिलाडा जिला जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री डी डी रामावत एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या– 4 सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :– 21/05/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बीरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नंबर 17 रकबा 4.4171 हैक्टयर, खसरा नंबर 20 रकबा 3.2441 हैक्टयर, खसरा नंबर 23 रकबा 11.7790 हैक्टयर, खसरा नंबर 256 रकबा 2.2086 हैक्टयर, खसरा नंबर 26 रकबा 0.3236 हैक्टयर, खसरा नंबर 27 रकबा 0.0243 हैक्टयर, खसरा नंबर 28 रकबा 9.5058 हैक्टयर, खसरा नंबर 30 रकबा 23.622 हैक्टयर कुल खसरा 8 कुल रकबा 55.1253 हेक्टयर स्थित है। उक्त भूमि पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 की पुश्तैनी सहखातेदारी कब्जासुदा भूमि है। उक्त भूमि ग्राम बीरावास के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के खाता सं.

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

138 पर दर्ज है। जिसे वाद के बकाया पदों में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है। जिसमें वादीगण सं. 1 से 7 का 1/12 हिस्सा, वादी सं 8 का 1/12 वां हिस्सा, वादी सं. 9 का 1/12 वा हिस्सा, वादी सं.10 से 17 का 1/4 हिस्सा, वादी सं. 18 से 22 का 1/4 हिस्सा है तथा शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का हैं। हिस्से माफिक पक्षकारान का मौके पर बतौर सहखातेदार कब्जा है तथा इसी माफिक उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीगण सं. 1 से 7 स्व. दुर्गाराम के उतराधिकारीगण है जिनमें से स्व.दुर्गाराम की पत्नी पेमीदेवी व स्व.दुर्गाराम की दोनों पुत्रिया सुगना व नर्मदा ने वादग्रस्त भूमि में से अपना हक हिस्सा नगद व जेवरात के रूप में पूर्व में हासिल कर लिया है। जिससे वादग्रस्त भूमि में स्व.दुर्गाराम के हिस्से की भूमि में वादीगण सं. 5 से 7 का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है तथा स्व. श्री दुर्गाराम के हिस्से की सम्पूर्ण 1/12 हिस्सा भूमि वादीगण सं. 1 से 4 के हिस्से में रखी गयी है। इसी प्रकार वादीगण सं. 10 से 17 स्व.भेराराम के उतराधिकारीगण है, जिनमें से स्व. भैराराम की तीनों पुत्रिया संतोष, शोभा, गुडिया ने वादग्रस्त भूमि में से अपना हक हिस्सा नगद व जेवरात के रूप में पूर्व में हासिल कर लिया है, जिससे वादग्रस्त भूमि में स्व.भैराराम के 1/4 हिस्से की भूमि में वादीगण सं. 15 से 17 का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। तथा स्व.भैराराम के हिस्से की सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा भूमि वादीगण सं. 10 से 14 के हिस्से में रखी गयी है तथा वादग्रस्त भूमि में वादी सं. 2 भोमाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश ओमाराम दर्ज है, जिसकी जरिये दुरूस्ती वादीगण वादग्रस्त भूमि में वादी सं. 2 का नाम ओमाराम के स्थान पर भोमाराम दर्ज करवाने के अधिकारी है। सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि निश्चायक रूप से पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है जिसमें वादीगण का निश्चायक रूप से हक हिस्सा है इसके उपरान्त प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में से अपेक्षाकृत अधिक कीमती व मौके की जमीन पर कब्जा करने पर उतारू है, जिस पर वादीगण ने वादग्रस्त भूमि का माप एवं सीमांकन के आधार पर बंटवाडा करने हेतु प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा लेकिन वो टालमटोल करते रहे तथा दिनांक 25.03.2024 को प्रतिवादीगण ने अन्तत वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा करने से इन्कार कर दिया। जिस पर वादकरण वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 25.03.2024 को बमुकाम ग्राम बीरावास उत्पन्न हुआ, जो सतत जारी है। वाद में प्रतिवादी सं. 3 के यहा भूमि रहन होने से प्रस्तुत वाद में बतौर औपचारिक पक्षकार संयोजित किया गया है प्रतिवादी सं. 4 भूमिधारी होने से वाद में बतौर औपचारिक पक्षकार संयोजित किया गया है, जिनके विरूद्ध वाद में कोई विशेष अनुतोष नही चाहा गया है जिससे दावा पूर्व उन्हे विधिक नोटिस दिया जाना व इस हेतु माननीय न्यायालय से दावा पूर्व नोटिस देने की छूट हासिल करने की आवश्यकता नहीं रही है।

अतः वादपत्र पेश कर प्रार्थना वादीगण है कि वादग्रस्त भूमि में दर्ज वादी सं. 2 का नाम ओमाराम के स्थान पर भोमाराम दर्ज कर वादग्रस्त भूमि में से वादीगण सं. 1 से 4 को 1/12 हिस्से की तथा वादी सं. 8 को 1/12वां हिस्से की तथा वादी सं. 9 को 1/12वा हिस्से की तथा वादीगण सं. 10 से 14 को 1/4 हिस्से की तथा वादीगण सं. 18 से 22 को 1/4 हिस्से तथा शेष 1/4 हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को माप व सीमांकन के आधार पर अलग बंटवाडे में प्रदान की जावे एवं वादीगण के बंटसुदा भूमि में किसी भी रीति से दखल नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। खर्चा हर्जा वाद प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 11.11.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बीरावास की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 17 रकबा 4.4171 हैक्टयर, खसरा नंबर 20 रकबा 3.2441 हैक्टयर, खसरा नंबर 23 रकबा 11.7790 हैक्टयर, खसरा नंबर 256 रकबा 2.2086 हैक्टयर, खसरा नंबर 26 रकबा 0.3236 हैक्टयर, खसरा नंबर 27 रकबा 0.0243 हैक्टयर, खसरा नंबर 28 रकबा 9.5058 हैक्टयर, खसरा नंबर 30 रकबा 23.622 हैक्टयर का वादीगण की राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	मादाराम रामाराम पुत्र कानाराम 2/3, दुदाराम भंवरलाल उंकारराम ओमाराम पुत्र दुर्गाराम, पेमी पत्नी दुर्गाराम, नर्मदा, सुगना पुत्रिया दुर्गाराम 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार	17/2	1.1042
		20	0.7868
		28	2.3311
		256/2	0.5319
		23/3	0.6544
		23/7	0.6544
		23/16	0.7907
		23/10	0.7907
		30/1	1.0888
		30/5	1.0888
		30/12	1.7957
		30/18	1.7957
	कुल खसरा	12	13.4132 हैक्ट
2	कालूराम किशोरराम राजूराम श्यामलाल पुत्र भेराराम, रूकमादेवी पत्नी भेराराम, गुडिया शोभा संतोष पुत्रियां भेराराम जाति जाट सा. देह खातेदार	17	1.1043
		20/1	0.7868
		28/3	2.3311
		256	0.5319
		23/2	0.6544
		23/6	0.6544
		23/14	0.7907
		23/9	0.7907
		30	1.0888
		30/4	1.0888
		30/14	1.7957
		30/17	1.7957
	कुल खसरा	12	13.4133 हैक्ट

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

3	खीयाराम चुतराराम मयाराम शंकरलाल हडमानराम पुत्र पाबुराम जाति जाट सा.देह खातेदार	17/1	1.1043
		20/2	0.7867
		28/1	2.3312
		256/1	0.5319
		23/1	0.6544
		23/4	0.6544
		23/15	0.7907
		23/12	0.7907
		30/2	1.0888
		30/6	1.0888
		30/13	1.7957
		30/15	1.7957
		12	13.4133
4	गंगाराम गुदडराम पुत्र मिसाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	17/3	1.1043
		20/3	0.7867
		28/2	2.3312
		256/3	0.5320
		23	0.6544
		23/5	0.6544
		23/11	0.7906
		23/13	0.7906
		30/3	1.0888
		30/7	1.0888
		30/11	1.7957
		30/16	1.7957
	कुल खसरा	12	13.4132
5	मादाराम रामाराम पुत्र कानाराम 1/6 दुदाराम भंवरलाल उंकारराम ओमाराम पुत्र दुर्गाराम 1/6 , कालूराम किशोरराम राजूराम श्यामलाल पुत्र भेराराम 1/4, खीयाराम चुतराराम मयाराम शंकरलाल हडमानराम पुत्र पाबूराम 1/4, गंगाराम गुदडराम पुत्र मिसाराम 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार	20/4	0.0971
		26	0.2751
		26/1	0.0485
		27	0.0243
		23/8	0.2184
		28/4	0.1812
		30/9	0.1942
		30/8	0.1828
		30/10	0.1698
		256/4	0.0809
	कुल खसरा	10	1.4723

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
उंकारराम		गंगाराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 39 / 2024

निर्णय दिनांक :– 21/05/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री डी डी रामावत अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकददमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/5/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा